संख्या–5070/III(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–1

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 531/2017 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र–सल्ट में तामाढौन के समीप विनोद नदी पर झूला पुल निर्माण के कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी लम्बाई 84 मीटर एवं लागत **₹ 13.87 लाख** है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 12.67 लाख (₹ बारह लाख सड़सठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–04–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.10 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्याः– S1810220113 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– 337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–02–02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–470/XXVII/(2)/2018 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– / III(2)/18–49(एम0एल0ए0)/2017 टी.सी.–। तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/अल्मोड़ा।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 5070/III(2)/18-49(M.L.A.)/2017 T.C.-1

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1810220113

आवंटन पत्र दिनांक -15-Oct-2018

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़के

337 - सडक निर्माण कार्य

03 - राज्य सेक्टर

02 - नया निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1820000	10000	1830000
	1820000	**10000**	**1830000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000

(एस.एस.ए. डोलिया)
संयुक्त सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

I-T
Up load करें
26.10.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–I" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 905 /20 याता0'क'/2018 दिनांक–18 .10.2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभिन्यता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
4. अधिशासी अभिन्यता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

18/10/18
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून